अनुक्रमांक __________

व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2024
(व्यापर चिह्न नियम, 2017 के नियम 144 के तहत)

प्रश्नपत्र-II

समय : अपराह्न 02 बजे से साँय 5 बजे (तीन घंटे) **पूर्णांक -100**

अनुदेश :

1. इस प्रश्न पत्र के 3 भाग हैं- भाग ए (20 अंक),भाग बी (30 अंक) एवं भाग सी (50 अंक)।
2. भाग ए, बी व सी के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. अभ्यर्थी उत्तर देने से पहले प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. परीक्षा के दौरान किसी तकनीकी/ वैधानिक पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।
5. “अधिनियम” और “नियम” के सभी संदर्भों को क्रमशः व्यापार चिह्न अधिनयम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 के रूप में पढ़ा जाए।
6. अभ्यर्थी के उत्तर में संगत धाराएँ एवं नियम के साथ-साथ निर्धारित शुल्क (फीस) और फॉर्म का उल्लेख करने की अपेक्षा की जाती है।
7. कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकता या उसे छोड़ने की अनुमति नहीं होगी (i) परीक्षा का आधा समय समाप्त होने से पहले; (ii) उपस्थिती पत्रक हस्ताक्षर किए बिना; और (iii) उनका ओएमआर पत्रक / उत्तर पुस्तिका उचित तरीके से पर्यवेक्षक को सौंपे बिना।
8. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय पूरा होने से पहले परीक्षा कक्ष से जाना चाहता / चाहती है तो प्रश्न पत्र वापस देकर वह ऐसा कर सकता / सकती है।

भाग ए

4 प्रश्न *5 अंक =20 अंक

1. चूंकि व्यापार चिह्न सुरक्षा क्षेत्राधिकार संबंधी है, आपका एक ग्राहक भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर व्यापार चिह्न सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। कृपया उन विकल्पों के बारे में बताएं जो आपके ग्राहक के लिए अन्य देशों में व्यापार चिह्न सुरक्षा का विस्तार करने के लिए उपलब्ध हैं। मैड्रिड फाइलिंग सिस्टम के फायदे और नुकसान बताएं।

2. एक गैर सरकारी संगठन जो आप्रवासियों और शरणार्थियों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए काम करता है, वह अपने चिह्न **"TIRANGA"** के पंजीकरण के लिए आपसे संपर्क करता है, जिसका उपयोग वे 2005 से वर्ग 45- सामाजिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं और वे इसका उपयोग शब्द चिह्न के रूप में कर रहे हैं। व्यापार चिह्न एजेंट होने के नाते आप अपने ग्राहक को उसकी पंजीकरण योग्यता के बारे में क्या सलाह देंगे?

3. एलआईसी कंपनी ने वर्ग 36 में जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए **जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी** नारे के लिए आवेदन किया था। परीक्षण चरण के दौरान, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 9(1)(क) और 9(1)(ख) के तहत परीक्षक द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है। प्रासंगिक प्रावधानों और नज़ीर (केस लॉ), यदि कोई हो, का हवाला देते हुए परीक्षण रिपोर्ट के उत्तर का मसौदा तैयार करें।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के रिकॉर्ड के अनुसार, एक विशेष व्यापार चिह्न XYZ एंड कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, जो एक स्वामित्व वाली फर्म है और जिसका प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति श्री ए द्वारा किया जाता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती डब्ल्यू (उम्र: 55 वर्ष), एक पुत्र श्री एस (उम्र: 28 वर्ष) और एक बेटी सुश्री डी (उम्र: 22 वर्ष) हैं। यह मानते हैं कि श्री एस ने आपसे संपर्क किया है जो चाहते हैं कि आप उनके पक्ष में व्यापार चिह्न के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन करें। वह बताता है कि उसकी माँ एक गृहिणी है और बहन कॉलेज जाने वाली लड़की है और दोनों ही पिता के व्यवसाय में शामिल होने की इच्छुक नहीं हैं।

   मान लीजिए कि आपको श्री एस के पक्ष में व्यापार चिह्न के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष एक अनुरोध दाखिल करना है। आप आवश्यकताओं के संबंध में उन्हें क्या सलाह देंगे? व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष अनुरोध दाखिल करते समय निर्धारित फॉर्म, निर्धारित शुल्क और सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के संदर्भ में उसे सलाह दें।

भाग बी

3 प्रश्न *10 अंक=30 अंक

5. स्वेट (SWAT) एजी एक जर्मन एथलेटिक परिधान और फुटवियर कॉर्पोरेशन है जिसका मुख्यालय जर्मनी में है। यह कॉर्पोरेशन यूरोप में सबसे बड़े स्पोर्ट्सवियर निर्माताओं में से एक है, और यूरोप के अलावा कई देशों में इसकी बिक्री होती है। वे व्यापक रूप से अपने ब्रांड का विज्ञापन करते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उनके उत्पादों की भारी बिक्री होती है। उनका वार्षिक बिक्री टर्नओवर अरबों में है। उनका व्यापार चिह्न 'SWAT' यूरोपीय संघ और 16 अन्य देशों में प्रासंगिक वर्ग में पंजीकृत है और कई अन्य देशों में भी उनके आवेदन लंबित हैं। हालाँकि उनके उत्पाद भारतीय बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन इस कॉर्पोरेशन के पास भारत में कोई व्यापार चिह्न पंजीकृत या आवेदन लंबित नहीं है।
   भारत में एक सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में 'SWAT' के निर्धारण के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए कॉर्पोरेशन आपसे संपर्क करता है। इन परिस्थितियों में, क्या आपको लगता है कि भारत में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत या लंबित व्यापार चिह्न आवेदन की अनुपस्थिति, एक सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में 'SWAT' के निर्धारण के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दाखिल करने में बाधा बनेगी? भारतीय व्यापार चिह्न कानून के अंतर्गत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यकताओं के आलोक में व्याख्या करें।

6. मैंगो प्रा. लिमिटेड कंपनी ने वर्ग 09 में मोबाइल फोन के लिए डिवाइस मार्क 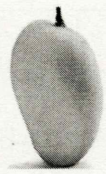 के लिए आवेदन किया था। आवेदन में कंपनी ने 01.08.2022 से आवेदन किए गए व्यापार चिह्न के उपयोगकर्ता होने का दावा किया है। परीक्षण के दौरान, अधिनियम की धारा 9(1)(क) के तहत परीक्षक द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और उपयोग के दावे को साबित करने के लिए कहा गया। उपयोग के दावे को साबित करने के लिए शपथ पत्र के साथ परीक्षण रिपोर्ट के उत्तर का मसौदा तैयार करें।

7. एक ग्राहक भारतीय जातीय परिधान के निर्माण और विपणन के लिए " 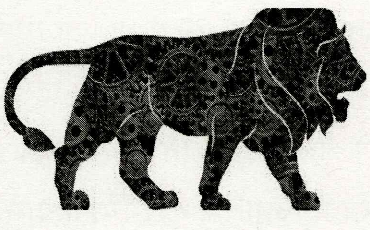 MAKE IT HAPPEN " को अपने व्यापार चिह्न के रूप में अपनाने और पंजीकृत करने के विचार के साथ आपके पास आता है। उसका कहना है कि उसमें बचपन से ही अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति और लगाव की भावना है, इसलिए उसने इसको अपनाया है। प्रस्तावित चिह्न की पंजीकरण योग्यता के संबंध में आपकी क्या राय है? प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के साथ अपनी राय का समर्थन करें।

भाग सी

2 प्रश्न * 25 अंक =50 अंक

9. वर्ग 30 में 'नमक मसाले, इंस्टेंट मिक्स, सभी प्रकार के आटे और चावल' के संबंध में 13 मार्च, 2018 को आवेदन संख्या 366XXXX के तहत मेसर्स न्यू इंडिया प्रा. लिमिटेड (इसके बाद आवेदक के रूप में संदर्भित) द्वारा 12 अप्रैल, 1998 से चिह्न के उपयोग का दावा करते हुए चिह्न अम्रुता (Amrutha) (डिवाइस) Amrutha के पंजीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया । उक्त आवेदन का परीक्षण किया गया और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार धारा 20 (1) के तहत स्वीकृति से पहले विज्ञापित किया गया। उक्त चिह्न व्यापार चिह्न जर्नल संख्या 1422 दिनांक 1 मार्च, 2019 में प्रकाशित किया गया और उसी दिन, अर्थात 1 मार्च, 2019 को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया।

मेसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद विरोधी के रूप में संदर्भित) ने 26 मई, 2019 को अधिनियम की धारा 9, 11 और 18 के तहत विवादित आवेदन के पंजीकरण पर आपत्ति जताते हुए विरोध की सूचना दाखिल करके उक्त आवेदन के पंजीकरण का विरोध किया। विरोधियों ने 26 मई, 2019 के अपने विरोध की सूचना में तर्क दिया है कि वे व्यापार चिह्न AMIRA के तहत खाद्यान्न, चावल और दालों सहित खाद्य वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में हैं। इसके अलावा, उनके पूर्वजों ने वर्ष 1986 में

AMIRA (लेबल) चिह्न को अपनाया और AMIRA चिह्न के तहत उनका माल देश के प्रमुख हिस्सों में वितरित किया जाता है और बड़ी मात्रा में विभिन्न विदेशी देशों में निर्यात किया जाता है। कि वर्ग 29 में आवेदन संख्या 634XXX और वर्ग 30 में आवेदन क्रमांक संख्या 578XXX, 580XXX, 624XXX और 713XXX के तहत उनका चिह्न AMIRA विरोधी या उनके पूर्वजों के पक्ष में विधिवत पंजीकृत हैं। इसके अलावा, उन्होंने अन्य न्यायक्षेत्रों में वर्ग 30 में AMIRA चिह्न के लिए पंजीकरण सुरक्षित कर लिया है और भारत में AMIRA शब्द/चिह्न वाले कलात्मक लेबल के लिए कॉपीराइट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। विरोधी का प्राथमिक तर्क यह है कि आवेदक आवेदन किए गए चिह्न का स्वामी नहीं है क्योंकि उसने भ्रम, धोखा पैदा करने और अपने माल को आवेदक के माल के रूप में पारित करने (पासिंगऑफ) की सुविधा के लिए बेईमानी से विरोधी के चिह्न से इसे अपनाया है। इसके अलावा, आवेदन किया गया चिह्न स्पष्ट रूप से नकल किया गया है और विरोधी के AMIRA लेबल चिह्न की प्रतिष्ठा और गुडविल से प्रेरित है। विरोधी ने आगे तर्क दिया कि आवेदक अधिनियम की धारा 12 के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि आवेदन किए गए चिह्न के पंजीकरण को उचित ठहराने के लिए कोई सच्चा या समवर्ती उपयोग या कोई अन्य विशेष परिस्थिति नहीं है। इसके अलावा, जनता और व्यापार के सदस्यों के मन में भ्रम और धोखे की संभावना है क्योंकि विवादित चिह्न उन्हें विरोधी और उनके व्यापार चिह्न AMIRA के साथ स्रोत और उत्पत्ति को जोड़ने और संबद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। विरोधी ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा आवेदन किया गया चिह्न सभी आवश्यक मामलों में विरोधी के व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है और माल भी उसी विवरण का है। विरोधी का कहना है कि आवेदन संख्या 366XXXX के तहत चिह्न का पंजीकरण अधिनियम की धारा 9, 11 और 18 द्वारा वर्जित है।

दिए गए तथ्यों के आधार पर, एक प्रति कथन का मसौदा तैयार करें, और विरोधी के बयानों का खंडन करने के लिए अपना पक्ष (प्लीडिंग्स) प्रस्तुत करने में सभी संभावित दलीलें दें, साथ ही उसमें संबंधित धाराओं, नियमों और नज़ीरों (केस लॉ) का भी हवाला दें।

10. 'मेडिमाइन इंडस्ट्रीज़' ब्रांड **'MEDIMINE'** के तहत N95 फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स का निर्माता और व्यापारी है। उनके उत्पाद आमतौर पर विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। वे वर्ष 2018 से भारत में एन 95 मास्क का

निर्माण और बिक्री करने का दावा करते हैं। हाल ही में, उन्हें एक प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट से जानकारी मिली कि उनके फेस मास्क को वेबसाइट पर बिक्री से हटा दिया गया है क्योंकि उन्हें एक अन्य निर्माता 'अद्वैत हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स' से नोटिस मिला है जो भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री से वर्ग-10 शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा उपकरण और उपकरण , पशु चिकित्सा उपकरण और उपकरण में "इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रस्तावित आधार" पर नंबर 56XXXX के तहत ' **N95**' का पंजीकृत स्वामी होने का दावा करता है। मेडिमाइन इंडस्ट्रीज़ अपने रुख में बहुत स्पष्ट है कि वे N95 का उपयोग पूरी तरह से वर्णनात्मक शब्द के रूप में कर रहे हैं जो उन श्वासयंत्रों की श्रेणी को निर्दिष्ट करता है जिनका वे निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। उनका मुख्य ब्रांड **'MEDIMINE'** उनके उत्पादों पर प्रमुखता से प्रदर्शित होता है और उसी रूप में बेचा जाता है। संपर्क करने पर, 'अद्वैत हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स' ने जवाब दिया कि वे केवल उन संस्थाओं के साथ N95 उत्पाद शब्द का उपयोग करने की अनुमति देंगे जो उनके साथ अपना लाभ साझा करेंगी, और जो यह कहेंगे कि "उनकी कंपनी उक्त व्यापार चिह्न (N-95) की स्वामी है और कोई अन्य इकाई व्यापार चिह्न का उपयोग करती है तो उसे अपने उत्पाद की पैकेजिंग, नाम, छवि या लेबल को बदलना होगा और धारक से लाइसेंस लेना होगा जो 50,000/- रुपये प्रति माह से शुरू होता है"।

मेडिमाइन इंडस्ट्रीज आपसे संपर्क करके 'अद्वैत हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स' के पंजीकृत व्यापार चिह्न के खिलाफ परिशोधन (सुधार) की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करती है। आप अपने ग्राहक को याचिका दाखिल करने के लिए उचित मंच के बारे में क्या सलाह देंगे? अपने ग्राहक की ओर से सुधार याचिका का मसौदा तैयार करें। आप पंजीकृत व्यापार चिह्न को रद्द करने का एक मजबूत मामला बनाने के लिए सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का हवाला देने और अपना पक्ष (प्लीडिंग्स) प्रस्तुत करने में सभी दलीलों और मान्यताओं को लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

- : *प्रश्नपत्र का अंत:* -